न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 46/2020 (75 एलआरए) अर्जुन सिंह बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00068)

रामलाल मीणा पुत्र मांगीलाल निवासी सुखबरेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन सरंक्षक झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश सहायक वन सरंक्षक झालावाड़
दिनांक 27.03.2019 अंतर्गत प्रार्थना पत्र सं. 510/खानपुर/2019

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता, श्री प्रेमचंद मीणा

2 रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुकेश जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.10.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक वन संरक्षक के प्रार्थना पत्र सं. 510/खानपुर/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड़ के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र सं. 510/खानपुर/2019 क्षेत्रीय वन अधिकारी खानपुर की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया अतिक्रमी उपस्थित हुआ जिसके बयान अभिलेखबद्ध कर दिनांक 27.03.2019 को

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

निर्णय पारित किया गया कि रामलाल पिता मांगीलाल निवासी सुखबरेड़ी द्वारा वन खण्ड महुबोरदा की आराजी ग्राम सुखबरेड़ी के ख0न0 47 की 10 बीघा भूमि में सरसो बुआई कर वर्ष 2018 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल. आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 510/खानपुर निर्णय दिनांक 27.03.2019 से बेदखल किया गया था एवं शास्ती एवं फसल कीमत राशि रु. 11500/– कायम की गई थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थीगण को 90 दिवस के सिविल कारावास से सजायाब किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील बउज़ मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमचंद मीणा ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं पत्रावली संग्रहसार के सर्वधा विरूद्व होने से निरस्तनीय है, अपीलार्थी का किसी वन भूमि पर बतौर पश्चातवर्ती अतिचार कर फसल काश्त नही की है अपीलार्थी ने पूर्व में ही उक्त आराजी से कब्जा हटा लिया था और वर्तमान में भूमि रिक्त है, रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी दुर्भावना पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की प्रोपर तामील भी नही करवाई गई, अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर नही गिया गया जिसके कारण अपीलान्ट न्याय पाने से वंचित रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 का ज्ञान जब हुआ जब उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट को गिरफ्तार करने आये, तभी अपीलान्ट द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की है जिसे दिनांक ज्ञान से अवधि मध्य मानी जावे जिसका प्रा0पत्र धारा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र के पृथक से संलग्न किया गया है। उक्त आराजी की भूमि परवन सिंचाई परियोजना में चले जाने से अपीलान्ट के कब्जे में नही है। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के मध्य नज़र अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.03.2019 अपास्त किया जावे।

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है, न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है।

8 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलांट को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन पर अपीलान्ट स्वंय को विधिवत रूप से तामील होना पाया गया। निर्णय दिनांक 27.03.19 के पेरा 2 में अपीलान्ट को उपस्थित होना एवं बयान अभिलेखबद्व होना अंकित किया है, जबकि पारित आदेश पेरा 5 में एक तरफा कार्यवाही किया जाना अंकित किया हैं। अपीलान्ट के बयान पत्रावली में उपलब्ध नही है जो त्रुटिपूर्ण है।

अपीलांट के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि अपीलान्ट पर द्वितीय अतिचार प्रमाणित नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई बयान नही लिये गये हैं। निर्णय दिनांक 27.03.2019 में द्वितीय अतिक्रमण पश्चातवर्ती होना अंकित किया है लेकिन इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के वर्षों में किये गये निर्णय को एवं उसकी पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है।.

9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत तामील नही होना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट को सिविल कारावास से दण्डित किया है जो सजा भुगत रहा है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षैत्रीय वन अधिकारी खानपुर की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2016, 2017, 2018 में अपीलान्ट का अतिक्रमण होना बताया गया है, परन्तु अतिचारी को उक्त आराजी पर से कब बेदखल किया गया पत्रावली से प्रमाणित नही होता है । माननीय राजस्व मण्डल ने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 91 के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करके अप्रार्थी की अनुपस्थिति में सुनवाई का अवसर दिये बिना सजा दिया जाना कठोरतम दण्ड है। सजा जैसे कठोरतम दण्ड देने से पूर्व अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने, हटाने का कोई प्रमाण नही है, द्वितीय अतिचार किस आधार पर माना गया है स्पष्ट नही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को सिविल कारावास की सजा देने से पूर्व द्वितीय अतिचार प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ती एवं फसल कीमत राशि 11500/–आरोपित की गई है। जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि पेनल्टी कितनी लगाई गई है जो लगान की कितनी गुणा है। फसल नीलामी की कार्यवाही भी आदेश होने के उपरान्त ही की जाती है, निर्णय से पहले फसल नीलामी किया जाना एवं नीलामी स्वंय अतिचारी के नाम से होना उचित प्रतीत नही होता है।

चूँकि अतिक्रमी को गिरफ्तार करके कारागृह में भेजा गया है, इसलिए भुगती हुई सजा को छोड़कर शेष सजा निरस्त किये जाने एवं प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। चूँकि अपीलान्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है जो दिनांक 17.09.2020 से सजा भुगत रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को भुगती सजा तक सीमित रखते हुये शेष सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि अनुरूप एक माह की अवधि में निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/10/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

10 निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)